मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025 (श्रावण 13, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि श्री शिबु सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड का निधन हो गया है, इस संबंध में निर्णय आज लेंगे या कल लेंगे. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि कल लेंगे क्योंकि अभी उनका संस्कार वगैरह नहीं हुआ है.

2. बधाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से स्व. श्री किशोर कुमार, पार्श्व गायक को जन्मदिन पर बधाई दी गई.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7,9,10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 160 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 177 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार : -

(1)	श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र भितरवार अतंर्गत मोहना नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम कक्ष का निर्माण कराया जाना।
(2)	श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य ने मंडला स्थित ग्राम बांदरवाड़ी से मरगवाड़ा के बीच घुघरा नाला पर पुलिया का निर्माण किया जाना।
(3)	श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने विधान सभा सेवढा तथा आस-पास के गावों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा प्रदान किया जाना।
(4)	श्री भैरों सिंह 'बापू', सदस्य ने उज्जैन संभाग अंतर्गत आगर-मालवा जिले में व्यावसायिक वाहनों का पंजीयन अन्य राज्यों में हो जाने से मध्यप्रदेश को राजस्व हानि होना।
(5)	श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने खरगापुर विधानसभा नगर पलेरा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का कार्यालय न खोला जाना।
(6)	श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र परासिया अतंर्गत खाली पड़ी वन भूमि में अनेक वर्षों से काबिज अनुसूचित जनजाति वर्ग व गरीब परिवारों को भू-अधिकार व मालिकाना हक प्रदान न किया जाना।
(7)	श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले की नगर पंचायत सेमरिया में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।
(8)	श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने खुरई एवं मालथौन तहसील में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा न दिया जाना।
(9)	श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों एवं गुना व शिवपुरी में अतिवर्षा के कारण फसलों को नुकसान होना।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2022-23 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखी गई.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण पर सीमित और समाधानकारक बात रखे जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी. मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में भी बातचीत हुई थी और सभी ने आवश्यकता प्रतिपादित की थी कि इसे चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए. सामान्य तौर पर विधान सभा में चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हम सब स्वतंत्र हैं लेकिन मुझे लगता है कि विषय पर सीमित होकर समाधान की तरफ हम चर्चा को ले जाएंगे और समाधान लेकर उठेंगे तो हमारी चर्चा की सार्थकता होगी.

7. ध्यानाकर्षण

(1) **सर्वश्री उमंग सिंघार, अजय अर्जुन सिंह, डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य** ने प्रदेश के आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, वन का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, डॉ. कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री मोहन सिंह राठौर, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी, सर्वश्री फूलसिंह बरैया, सोहनलाल बाल्मीक, अभय मिश्रा, नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रमीण विकास मंत्री तथा श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने चर्चा का उत्तर दिया.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

(i) ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा करने पर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार है परन्तु जब नियम 138 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण हो.....

इस पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि संसदीय कार्य मंत्री हर बार पाईंट ऑफ आर्डर की बात करते हैं. मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन बता दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना बोलना है आप बोल सकते हैं यह अधिकार है संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का. फिर आप कहते हैं कि स्थगन पर बात करो, हम ध्यानाकर्षण पर बात नहीं करते, यह बात गलत है. सदन परंपराओं से चलता है.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि ध्यानाकर्षण की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादायें हैं और नियम हैं तथा इस ध्यानाकर्षण में और भी लोग बोलने वाले हैं, तो बाकी सदस्यों का भी ध्यान रखते हुये संक्षिप्त में प्रश्न करेंगे तो हम समाधान तक पहुंच सकेंगे.

(ii) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य सदन में दे रहे थे, तब विपक्ष के सभी सदस्य संजीदा होकर सुन रहे थे, किसी ने टोका-टाकी नहीं की. लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो सामान्यत: परंपरा यह है और मैं वर्ष 1980 से देख रहा हूं कि यदि मंत्री भी सदन में बोल रहे हैं, तो वे रूकते हैं और बैठते हैं तथा प्रतिपक्ष के नेता की बात सदन में सुनी जाती है, लेकिन इस सदन में जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उधर से मंत्री जी भी बोल रहे हैं, दूसरे सदस्य भी बोल रहे हैं. विधान सभा में जितना महत्वपूर्ण पद सदन के नेता मुख्यमंत्री का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान नेता प्रतिपक्ष का भी होता है. यह सदन वाद-प्रतिवाद के लिए है. कोई विषय सदन में आता है, यदि किसी के पास सार्थक जवाब है और आसंदी अनुमति दे तो वह अपनी बात रखता है लेकिन सभी खड़े होकर बोलने लगें तो यह दृश्य अशोभनीय भी है और परंपरा के अनुसार भी नहीं है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि डॉ.राजेन्द्र सिंह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. संसदीय मर्यादा, परंपरा का उनको काफी ज्ञान है परंतु कभी-कभी भूलवश ऐसा हो जाता है कि हम नियम और प्रक्रिया के बाहर जा रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि मैं उससे सदन को अवगत करवाऊं, इसलिए मैंने नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया था. माननीय नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है कि वह सदन में कभी भी, किसी भी समय बोल सकते हैं लेकिन नियम 138(1) के तहत सीमित रहना होता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - मध्यप्रदेश विधान सभा की बहुत शानदार परम्पराएं हमारे पूर्वजों ने छोडी हैं. उसके प्रकाश में निश्चित रूप से हम अपने आगे का मार्ग तय कर सकते हैं. मध्यप्रदेश की विधान सभा के उदाहरण अन्य स्थानों पर भी दिये जाते हैं. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी दोनों ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. मैं समझता हूं कि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब अपनी बात कही तो वह अपने स्थान पर सही थे, संसदीय कार्य मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी ने जो चिंता व्यक्त की वह एक सैद्धांतिक चिंता थी कि जब मुख्यमंत्री जी बोलें, नेता प्रतिपक्ष जी बोलें, संसदीय कार्य मंत्री बोलें, अन्य मंत्रीगण बोलें तो निश्चित रूप से हम सब सदस्यों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि उनकी बात को हम ध्यान से सुनें. सभी के सहयोग से सदन निश्चित रूप से ठीक प्रकार से चल पाता है और हम सब समाधान तक पहुंच पाते है.

मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो ध्यानाकर्षण के पूर्व आग्रह किया था, सब ने मेरी भावनाओं को समझा और ध्यानाकर्षण पर अधिक सदस्य अपनी बात रख सकें प्रश्न भी कर सकें और उसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही. मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की परम्पराओं को और आगे बढ़ाना चाहिए. इस बात का हम सब को आगे भी ध्यान रखना चाहिए.

9. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य** ने विद्युत विभाग द्वारा चोरी के प्रकरण में लोक अदालत के अलावा ब्याज राशि न हटाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. सर्वश्री भंवर सिंह शेखावत, प्रदीप अग्रवाल, आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्यगण, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री गोपाल भार्गव सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 4 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ मानी गई जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **डॉ. राजेश सोनकर (जिला-**देवास)
(2) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाडा)
(3) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)
(4) **श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-**पांढुर्णा)
(5) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(6) **श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-**दमोह)
(7) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(8) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(9) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(10) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(11) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(12) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-**खरगोन)
(13) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)
(14) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(15) **श्री मुरली भँवरा (जिला-**देवास)
(16) **श्री महेश परमार (जिला-**उज्जैन)
(17) **श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-**खरगोन)
(18) **श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-**मुरैना)
(19) **श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-**जबलपुर)
(20) **श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-**नीमच)
(21) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(22) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)

(23) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(24) **श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-**सागर)
(25) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**सिवनी)
(26) **श्री मोहन शर्मा (जिला-**राजगढ़)
(27) **श्री मुकेश टंडन (जिला-**विदिशा)
(28) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-**रतलाम)
(29) **श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-**शहडोल)
(30) **श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-**गुना)
(31) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-**नरसिंहपुर)
(32) **श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-**ग्वालियर)
(33) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(34) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-**शाजापुर)
(35) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)
(36) **श्री अमर सिंह यादव (जिला-**राजगढ़)
(37) **श्री विक्रम सिंह (जिला-**सतना)
(38) **श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-**नीमच)
(39) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-**छतरपुर)
(40) **श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-**सतना)
(41) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर-मालवा)
(42) **श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-**ग्वालियर)
(43) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(44) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(45) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(46) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(47) **श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-**नर्मदापुरम)
(48) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(49) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(50) **श्री सचिन बिरला (जिला-**खरगोन)
(51) **श्री हजारीलाल दांगी (जिला-**राजगढ़)
(52) **श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (जिला-**अशोकनगर)
(53) **श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-**शिवपुरी)
(54) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)
(55) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(56) **श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-**धार)
(57) **श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-**खण्डवा)
(58) **श्रीमती ललिता यादव (जिला-**छतरपुर)
(59) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला-**मुरैना)
(60) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)
(61) **श्री दिनेश जैन बोस (जिला-**उज्जैन)
(62) **श्री बाला बच्चन (जिला-**बड़वानी)
(63) **श्री सुरेश राजे (जिला-**ग्वालियर)
(64) **इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-**अशोकनगर)
(65) **श्री राजन मण्डलोई (जिला-**बड़वानी)
(66) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-**टीकमगढ़)
(67) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(68) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(69) **सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत (जिला-**छतरपुर)
(70) **श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-**कटनी)
(71) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-**अशोकनगर)
(72) **श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-**गुना)
(73) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)

(74) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर)
(75) **इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-**सागर)
(76) **श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-**रायसेन)
(77) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(78) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)
(79) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)
(80) **श्री राजकुमार कर्राहे (जिला-**भोपाल)
(81) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**रीवा)

11. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी के समितियों के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल उतने ही उम्मीदवार शेष हैं जितने समितियों के लिए निर्वाचित किये जाने हैं.

अतः मैं, वर्ष 2025-26 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं:-

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री बिसाहूलाल सिंह
2. श्री जयसिंह मरावी
3. डॉ. प्रभुराम चौधरी
4. इन्जीनियर प्रदीप लारिया
5. श्रीमती उमादेवी खटीक
6. श्री पन्नालाल शाक्य
7. श्री राजेन्द्र मेश्राम
8. श्री कालूसिंह ठाकुर
9. श्री सुरेश राजे
10. श्री राजन मण्डलोई
11. श्री चैनसिंह बरकड़े

मैं श्री बिसाहूलाल सिंह, मान. सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री महेन्द्र हार्डिया
2. श्री दिनेश राय मुनमुन
3. श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
4. श्री हजारीलाल दांगी
5. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
6. श्री अरुण भीमावद
7. श्री अमर सिंह यादव
8. श्री चन्दर सिंह सिसौदिया
9. डॉ. रामकिशोर दोगने
10. श्री सिद्धार्थ कुशवाहा
11. श्री दिनेश गुर्जर

मैं श्री महेन्द्र हार्डिया, मान. सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

12. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में पुर:स्थापना हेतु सम्मिलित मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 एवं मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 के भारसाधक मंत्री अपरिहार्य कारणों से सदन में अनुपस्थित हैं तथा विधेयकों के लिए स्थायी आदेश क्रमांक 27 के अनुसार विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को अधिकृत भी नहीं किया गया है. अतः इन दोनों विधेयकों को कल की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाएगा.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(3) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(अपराह्न 1.31 बजे से 3.10 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

15. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा दर्शक दीर्घा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के उपस्थित होने पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. डॉ. हिरालाल अलावा

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

2. श्री भगवानदास सबनानी
3. डॉ. रामकिशोर दोगने
4. श्री दिनेश जैन (बोस)
5. श्री भैरो सिंह बापू
6. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
7. श्री महेश परमार
8. श्री जयवर्द्धन सिंह
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री अरुण भीमावद
11. श्री दिनेश गुर्जर
12. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

तदुपरांत श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के सर्वसम्मति से अंग बने.

सर्वसम्मति से खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पारित किया जाय.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

17. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

उत्तर के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा गया कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर लगभग 5 घंटा 40 मिनट चर्चा हुई है और मंत्रीगण सहित लगभग 31 महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं. प्रहलाद जी का जवाब निश्चित रूप से बहुत ही सारगर्भित और पथ प्रदर्शन करने वाला है, मैं उनको हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं. हम सभी जानते हैं कि यह विषय काफी महत्वपूर्ण था तथा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर ही जब ऐसे विषयों पर विचार होगा तभी हम निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर हो पायेंगे. मैं इस अवसर पर एक-दो आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सरकार से संबंधित विभाग उनमें से जो क्रियान्वयन करने के योग्य हैं वह लिपिबद्ध करके कार्यवाही निकाल लें और मुझे लगता है उस पर हम लोगों को सरकार की ओर से काम करना चाहिये. दूसरा, मेरा सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि यह विषय बहुत व्यापक है और बड़ी चुनौती है और इससे जूझना, इस पर विजय प्राप्त करना, प्रत्येक इंसान का कर्तव्य भी है और धर्म भी है इसलिये इसको सरकार के अकेले भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता. हम सब लोगों को भी यह कोशिश करनी चाहिये कि सरकार का सहयोग मिले तो सहयोग के साथ और सरकार का सहयोग न भी मिले तो अपने संतोष के लिये और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये हम सब लोगों को वृक्षारोपण में योगदान देना चाहिये क्योंकि हम करेंगे और स्वयं के संतोष के लिये करेंगे तो मैं समझता हूं उसके फल ज्यादा मीठे होंगे, इस आशा के साथ आप सब सदस्यगण से अनुरोध है कि चर्चा काफी अच्छी हुई है, आगे भी ऐसी चर्चायें सबके सहयोग से होती रहें तो निश्चित रूप से सदन की सार्थकता भी सिद्ध होगी और हम सब लोग भी एक दूसरे का ज्ञानवर्द्धन कर सकेंगे.

अपराह्न 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 05 अगस्त, 2025 (श्रावण 14, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 4 अगस्त, 2025